

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत

बनाम

मैसर्स सूरत टेक्सटाईल मिल्स लिमिटेड और अन्य

26 अप्रैल, 2004

[एस.राजेंद्र बाबू, डॉ.ए.आर.लक्ष्मणन और जी.पी.माथुर, जे.जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 - उत्पाद शुल्क - उदग्रहण - निर्माता के ग्राहकों द्वारा किए गए विज्ञापन व्यय को निर्माता के सामान के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल करना - विभिन्न अपीलों में सीईजीएटी ने राजस्व के पक्ष और विपक्ष में निर्णय लिया- अपील में, मामलों को पुनर्विचार के लिए न्यायाधिकरण को प्रतिप्रेषित किया गया।

सिविल अपील सं. 2357-2361/2002 में उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने निर्धारित किया कि विज्ञापन के लिए खर्च, जो संसाधित कपड़ों के मालिकों ने किया था, लेकिन इन वस्तुओं के विक्रेताओं को हतान्तरित कर दिया, संसाधित कपड़ों के आकलन योग्य मूल्य में शामिल था। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) ने निर्धारिती की अपील को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि इस तरह के बिक्री संवर्धन व्यय फिलिप्स बनाम सी.सी.ई., पुणे, [1997] 6 एससीसी 31

और मैसर्स उजागर प्रिंट्स और अन्य बनाम यू.ओ.आई. और अन्य, [1989] 3 एससीसी 531 के आधार पर आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं थे।

सिविल अपील सं. 13400/1996, 4672/1997 और 4762/1997 में, अपीलार्थी-कंपनियाँ गैर-अल्कोहोलिक पेय आधार के निर्माता थे। पेय आधार को आगे उनके ग्राहकों को बेचान किया गया जो तैयार उत्पाद यानी वातित जल का निर्माण करते थे। उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने विज्ञापन की लागत को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा किया गया व्यय पेय आधार के आकलन योग्य मूल्य में शामिल था। सीईजीएटी ने उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विचार को बरकरार रखते हुए राजस्व के पक्ष में निर्णय लिया। अतः वर्तमान अपीलें।

अपीलों का निस्तारण करते हुए और उन्हें सीईजीएटी को प्रतिप्रेषित करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि पहले के कई फैसलों में, उसने लगातार कहा कि एक निर्माता ग्राहक द्वारा किए गए विज्ञापन व्यय को आकलन योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बिक्री मूल्य में जोड़ा जा सकता है, केवल तभी जब निर्माता को ग्राहक के खिलाफ प्रवर्तन कानूनी अधिकार है कि वह ग्राहक द्वारा किये जाने वाले ऐसे विज्ञापन खर्चों के मूल्य पर जोर दे। कुछ मामलों में, सीईजीएटी यह समझने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं ने ईमानदारी से और सच्चे विश्वास के साथ काम किया है कि पेय

आधार को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। इन अपीलों में आक्षेपित आदेशों में सीईजीएटी इस न्यायालय के कई फैसलों के अनुपात की सराहना करने और उनकी पालन करने में भी विफल रहा है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि निर्धारित ईमानदारी से और प्रामाणिक विश्वास के तहत कार्य करता है और विनिर्मित उत्पादों को शुल्क से छूट दी जाती है, तो सीमा की लंबी अवधि आकर्षित नहीं होती है। इसलिए, इन मामलों में शामिल मुद्दों पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सीईजीएटी द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। [648-ए-डी]

भारत सरकार और अन्य बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड और अन्य, [1995] 4 एससीसी 349; फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, पुणे, [1997] 6 एससीसी 31; मेसर्स उजागर प्रिंट्स और अन्य (III) बनाम भारत संघ और अन्य, [1989] 3 एससीसी 531; पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम सीसीई, चंडीगढ़, (2003) 111 ईसीआर 776 (एससी)=जेटी(2003) 9 एससी 595; भारत संघ और अन्य बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य, [1984] 1 एससीसी 467; केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलेक्टर और अन्य बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड आदि, [1986] पूरक एससीसी 751; केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलेक्टर और अन्य बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड, [1989] 3 एससीसी 238; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम टी.आई. मिलर्स लिमिटेड, मद्रास और टी.आई.डायमंड चैन, मद्रास, [1986] पूरक एससीसी 361; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, हैदराबाद बनाम मैसर्स जयंत ऑयल मिल्स प्रा.लिमिटेड, [1989] 3 एससीसी 343; कॉस्मिक डार्ई केमिकल बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे कलेक्टर, (1995) 75 ईएलटी 721 (एससी) और एमको बैटरीज लिमिटेड केंद्रीय उत्पाद शुल्क बेंगलोर कलेक्टर, (2003) 153 ईएलटी 7 (एससी), का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2357-2361/2002

ए.सं. ई/4563-4567/1995 एसबी(डब्ल्यूआर) में एफ.ओ.सं.सी-1/1064-1068/डब्ल्यूजेडबी/2001 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई के निर्णय और आदेश दिनांक 29.3.2001 से।

साथ में

सी.ए. सं. 13400/96, 4672/1997

ए.के. गांगुली, जोसेफ वेल्लापल्ली, दुष्यंत दवे, दिलीप टंडन, सुश्री निशा बगेही, के.सी. कौशिक, बी.के. प्रसाद, डी.एन. मेहता, सुश्री सुरुची अग्रवाल, यू.ए. राणा, अरविंद कुमार, प्रदीप खरेल, पी.एच. पारेख, समीर पारेख, एस.रामकृष्णन और सुश्री रंजीत रोहतगी, पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

डॉ. ए.आर.लक्ष्मणन, न्यायाधिपति

सिविल अपील सं. **2357-2361/2002**

यह अपील आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सूरत द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम जोनल पीठ मुंबई द्वारा अपील संख्या E/4563-4567/95 SB(WR) में आदेश संख्या C-I/1064-1068/WZB/2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 29.3.2001 के खिलाफ दायर की गयी है। इस मामले में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने कहा कि गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड और संसाधित कपड़ों के मालिकों ने विज्ञापन पर जो खर्च किए, लेकिन इन वस्तुओं के विक्रेताओं को दिए गए, संसाधित कपड़ों के आकलन योग्य मूल्य में शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड द्वारा वरेली एसोसिएट्स और गार्डन एसोसिएट्स को बेचे गए दूसरी गुणवत्ता वाले कपड़ों का आकलन योग्य मूल्य वह मूल्य होना चाहिए जिस पर इन दोनों कंपनियों ने उन्हें अपने डीलरों को बेचा था।

निर्धारिती द्वारा सीईजीएटी के समक्ष दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया गया और आयुक्त के विवादित आदेश को खारिज कर दिया गया। सीईजीएटी के उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने उपरोक्त अपील दायर की।

अपीलार्थियों के अनुसार, निर्धारण के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या सीईजीएटी निर्माता द्वारा अपने स्वयं के विक्रेताओं से उन्हें बेचे गए माल के सम्बन्ध में वसूले गए बिक्री बिक्री संवर्धन व्यय (विज्ञापन खर्च), उनके द्वारा अपने कारखाने से संसाधित और बेचे गए माल के आकलन योग्य मूल्य पर शामिल नहीं करने में सही था।

इस प्रभाव पर विचार करने के लिए एक और प्रश्न यह भी उठता है कि क्या सीईजीएटी इन तथ्यों की सराहना नहीं करने में सही था कि सभी व्यापारी निर्माताओं को मुख्य मिलों यानी मैसर्स गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था, और छलावरण और उत्पाद शुल्क से बचने के उद्देश्य से बनाए गए थे, क्योंकि बाद में अधिकांश (व्यापारी निर्माताओं) को या तो भंग कर दिया गया था या अन्य कंपनियों के साथ विलय कर दिया गया था।

यह ध्यान देने योग्य है कि सीईजीएटी ने तत्काल मामले में इस तर्क के साथ मिल्स और मर्चेट मैनुफैक्चरर्स की अपीलों की अनुमति दी कि फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम सीसीई, पुणे, (1998) 74 ईआरसी 722=[1997] 6 एससीसी 31 के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विनिर्मित उत्पाद के विज्ञापन के लिए विक्रेताओं द्वारा किया गया खर्च उत्पाद के आकलन योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए, विक्रेताओं द्वारा किया गया खर्च आंकलन योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए। गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड द्वारा संसाधित कपड़ों के मालिक द्वारा विज्ञापन के लिए किए गए खर्च, किसी भी स्थिति में, इन वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं होगा। सीईजीएटी ने मैसर्स उजागर प्रिंट्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1989) 39 ईएलटी 439=[1989] 3 एससीसी 531 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह कच्चे माल की लागत है और इसके प्रसंस्करण के लिए प्रोसेसर द्वारा की गई लागत से माल का आकलन योग्य मूल्य

बनना चाहिए। जब उपरोक्त अपीलें इस न्यायालय के समक्ष 24.2.2003 को आई, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष निर्देश के लिए रखते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भारत सरकार और अन्य बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जो कि [1995] 4 एससीसी 349 में रिपोर्ट किया गया जो तीन न्यायाधिपतियों की पीठ का एक निर्णय है, जबकि न्यायाधिकरण ने [1997] 6 एससीसी 31 में रिपोर्ट किये गए फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे में मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। चूंकि इन निर्णयों में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है, इसलिए हम इसे उचित समझते हैं कि यह मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए। इसलिए, दिशा निर्देश के लिए कागजात माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष रखे जाएंगे।"

अपीलार्थियों द्वारा सीईजीएटी के निर्णय और आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए कई अन्य आधार भी लिए हैं, जो इन अपीलों में विवादित है।

उत्तरदाताओं द्वारा यहाँ एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि मामला पूरी तरह से मेसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर) और मेसर्स उजागर प्रिंट्स (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा कवर किया गया है, जैसा कि विवादित फैसले में भी अभिनिर्धारित किया गया था। यह प्रस्तुत

किया गया कि बिक्री संवर्धन व्यय कपड़ों के मूल्य में जोड़े जाने के योग्य नहीं है और इसलिए, उत्पाद शुल्क के दाएरे में नहीं आता है।

उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कई अन्य तथ्यात्मक और कानूनी तर्क भी लिए गए हैं।

सिविल अपील सं. 13400/1996

यह अपील मेसर्स दिल्ली बॉटलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपील संख्या ई/2751/84-ए में सीईजीएटी, नई दिल्ली द्वारा पारित 9.7.1996 दिनांकित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है, जो अपील संख्या 68/84 में अतिरिक्त जिलाधीश केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.10.1984 को पारित आदेश से उत्पन्न हुई। यह मामला अपीलार्थी-दिल्ली बॉटलिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, संक्षेप में "डीबीसी" द्वारा सहकारी अखिल भारतीय विज्ञापनों के नाम पर, अपने ग्राहकों से, जिन्हें वे ऐसे पेय आधार का आकलन योग्य मूल्य निर्धारित कर पूर्ति कर रहे थे, सहायक चालान जरी करके, अलग से एकत्र की गई राशि को शामिल करने से संबंधित है। विभाग ने आरोप लगाया था कि नियमित बिक्री चालान में उल्लिखित मूल्य के साथ-साथ सहायक चालान के माध्यम से अलग से एकत्र किया गया मूल्य डीबीसी द्वारा निर्मित पेय आधार का मूल्य बनता है। डीबीसी छूट अधिसूचना संख्या 120/75-सीई दिनांक 30.4.1975 का लाभ उठा रहा था और उसने केवल नियमित बिक्री चालान के माध्यम से एकत्र किए गए मूल्य की घोषणा की थी। विभाग ने आरोप

लगाया कि नियमित बिक्री चालान के साथ-साथ सहायक बिक्री चालान में उल्लिखित मूल्य माल के मूल्य का गठन करता है और अधिसूचना संख्या 120/75-सीई के तहत मूल्यांकन, पूर्ण चालान मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। अपीलार्थियों के अनुसार, इस अपील में विचार के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

"(i) क्या अधिकारियों को वातित जल के विज्ञापन पर होने वाली लागत को सांद्रण के विज्ञापन की लागत के रूप में मानकर वातित जल के निर्माण के लिए आवश्यक सांद्रण के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल करना उचित था;

(ii) क्या सीईजीएटी द्वारा अपीलकर्ता को अधिसूचना संख्या 120175-सीई का लाभ देने से इनकार करना उचित था, जब अपीलकर्ता ने विशेष रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के पूर्ववर्ती आइटम 68 के तहत आने वाली वस्तुओं के संबंध में उसमें निहित सुविधा का विकल्प चुना था, जैसा कि अपीलकर्ता के मामले में था। और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के विपरीत, बिना किसी सबूत के केवल संदेह के कारण मूल्यांकन योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को लागू करना कि अपीलकर्ता ने अधिसूचना संख्या 120/1975 सीई आईबीआईडी के तहत चालान मूल्य की उचित घोषणा नहीं की थी। "

सीईजीएटी द्वारा पारित आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए कई अन्य तथ्यात्मक और कानूनी दलीलें दी गईं।

सिविल अपील सं. 4672/1997

यह अपील पारले (एक्सपोर्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। यहाँ फिर से, अपीलार्थी गैर-मादक पेय आधारों (एनएबीबी) के निर्माण में लगे हुए हैं। एनएबीबी को अपीलकर्ताओं द्वारा उन बॉटलरों को बेचा जाता है जो फ्रेंचाइज धारक हैं। बॉटलर/फ्रेंचाइजी धारक अपीलकर्ताओं द्वारा उन्हें बेचे गए एनएबीबी से थम्स अप, गोल्ड स्पॉट आदि के व्यापार नाम के तहत वातित जल का निर्माण करते हैं। पूरे देश में ऐसे 55 बॉटलर/फ्रेंचाइजी धारक हैं। बॉटलरों/फ्रेंचाइजी धारकों ने फैसला किया कि एक सहकारी और समेकित विज्ञापन अभियान को उनकी ओर से अखिल भारतीय आधार पर एक सहकारी और समेकित विज्ञापन अभियान आयोजित किया जाना चाहिए जिसके लिए शुरू में अपीलार्थी और बाद में मैसर्स एडवांस एडवरटाइजिंग एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को निगरानी एजेंसियों के रूप में कार्य करना था। विज्ञापन अभियान तैयार उत्पादों, अर्थात्, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप आदि के व्यापार नाम के तहत बेचे जा रहे वातित पानी के संबंध में था, जिसके लिए बॉटलर्स/फ्रेंचाइज़ धारकों द्वारा आनुपातिक योगदान किया गया था, केंद्रीय जिलाधीश द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद ने अपीलकर्ताओं पर आरोप लगाया कि विज्ञापन व्यय की राशि एनएबीबी के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल थी। अपीलार्थियों ने कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोप से इनकार करते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण दायर किया। जिलाधीश, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद ने अपने आदेश दिनांक 29.3.1990 द्वारा शुल्क की मांग की पुष्टि की और जुर्माना भी लगाया।

याचिकाकर्ताओं ने एक अपील को प्राथमिकता दी और सीईजीएटी ने अपने दिनांक 18.2.1997 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से अपीलकर्ताओं की अपील स्वीकार की, जबकि यह निर्धारित किया कि तैयार उत्पादों, अर्थात्, बॉटलरों/फ्रेंचाइजी धारकों द्वारा किए गए वातित जल के संबंध में विज्ञापन खर्च की लागत अपीलकर्ताओं के बिक्री मूल्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी थी। सीईजीएटी ने अपीलकर्ता के मामले में सीमा की बड़ी अवधि को भी बरकरार रखा।

उक्त आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाने वाले सीईजीएटी के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान दीवानी अपील दायर की गई थी।

सीईजीएटी के समक्ष, दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा कई निर्णयों का हवाला दिया गया था। अपीलार्थियों द्वारा कई कानूनी तर्क भी लिए गए। अपीलार्थियों/आकलनकर्ताओं के अनुसार, सीईजीएटी ने कानून में यह निर्धारित करने में घोर त्रुटि की है कि एनएबीबी के खरीदारों द्वारा और/या उनकी ओर से किए गए विज्ञापन खर्च की राशि, अपीलार्थी द्वारा निर्मित एनएबीबी के आकलन योग्य मूल्य पर भारित करने के लिए उत्तरदायी थी और सीईजीएटी यह समझने में विफल रहा कि उक्त विज्ञापन व्यय वातित जल के संबंध में किए गए थे जो अपीलकर्ता-कंपनी, यानी एनएबीबी द्वारा निर्मित उत्पाद की तुलना में एक विशिष्ट और अलग निर्मित उत्पाद थे।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विज्ञापन व्यय अपीलकर्ताओं की ओर से या अपीलकर्ताओं के उत्पाद एनएबीबी के लिए नहीं बल्कि अपीलकर्ताओं के ग्राहकों, बॉटलर्स और उनकी ओर से निर्मित उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए किया गया था।

सिविल अपील सं. 4762/1997

यह अपील अपीलकर्ताओं - पारले इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपील संख्या ई-1020/90-ए में सीईजीएटी, नई दिल्ली के आदेश संख्या 260/1997-ए दिनांक 18.2.1997 के खिलाफ दायर की गई है। यहां फिर से, अपीलकर्ता गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों (एनएबीबी) के निर्माण में लगे हुए हैं, जो अपीलकर्ताओं द्वारा उन बॉटलर्स को बेचा जाता है जो फ्रेंचाइजी धारक हैं। यह मामला सिविल अपील संख्या 4672/1997 के समान आधार पर खड़ा है। वर्तमान अपील में, इस न्यायालय ने 9.2.1998 को एक अंतरिम आदेश पारित किया जो इस प्रकार है:

"सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 18.2.1997 के मद्देनजर, आयुक्त दोनों पक्षों को नोटिस देने के बाद आज से चार सप्ताह के भीतर उस आदेश के पैराग्राफ 13 में निर्धारित शेष अवधि के लिए शुल्क की मांग का निर्धारण करेगा। अपीलार्थी इस प्रकार निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत जमा करेंगे और शेष राशि के लिए आयुक्त की संतुष्टि के लिए बैंक गारंटी देंगे। कोई मौजूदा जमा या बैंक गारंटी होने की स्थिति में,

जमा या बैंक गारंटी प्रस्तुत करते समय उसका क्रेडिट लिया जाएगा, बशर्ते कि बैंक गारंटी या गारंटी को वर्तमान अपीलों के निस्तारण तक जीवित रखा जाए।“

यह अंतरिम आदेश उस निर्णय और आदेश के अंतिम परिणाम के अधीन होगा जो इस न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण पर सीईजीएटी द्वारा पारित किया जा सकता है।

यह प्रस्तुत किया गया कि सीईजीएटी ने अपीलकर्ताओं के 'एनएबीबी' के बिक्री मूल्य में विज्ञापन खर्चों को जोड़ने की बात को बरकरार रखा और इसकी पुष्टि की, भले ही उक्त विज्ञापन खर्च एनएबीबी के संबंध में बिल्कुल भी नहीं किए गए थे, बल्कि केवल के संबंध में खर्च किए गए थे। वातित जल जो एक पूरी तरह से अलग और अलग निर्मित उत्पाद है, जो बॉटलर्स द्वारा उत्पादित किया जाता है, न कि अपीलकर्ताओं द्वारा। इसके अलावा, मूल्यांकन योग्य मूल्य में उक्त वृद्धि को सीईजीएटी द्वारा बरकरार रखा गया है, भले ही विभाग ने यह आरोप भी नहीं लगाया था, यह स्थापित करना तो दूर की बात है कि उक्त विज्ञापन खर्चों को वहन करने के लिए बॉटलर्स पर कोई बाध्यकारी कानूनी दायित्व डाला गया था।

हमने श्री ए.के. गांगुली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री डी.एन. मेहता, श्री यू.ए. राणा, विद्वान अधिवक्ता, श्री जोसेफ वेल्लापल्ली और श्री डी.ए. डेव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री पी.एच. पारेख, विद्वान अधिवक्ता को सुना। संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने अपनी-अपनी अपीलों में उनके द्वारा उठाए गए तर्कों को हमारे सामने

दोहराया। हमने सिविल अपील संख्या 2357-2361/2002 में सीईजीएटी द्वारा पारित आदेश और अन्य तीन अपीलों में पारित आदेशों का अवलोकन किया है। सिविल अपील सं. 2357-2361/2002 में, सीईजीएटी ने राजस्व के खिलाफ और निर्धारिती के पक्ष में निर्णय और आदेश पारित किया, सीईजीएटी द्वारा राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध अन्य तीन अपीलों में एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया।

सुनवाई के समय, दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा व्यक्त किया:

1. भारत सरकार और अन्य बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड और अन्य, [1995] 4 एससीसी 349
2. फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम जिलाधीश केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे, [1997] 6 एससीसी 31
3. मैसर्स उजागर प्रिंट्स और अन्य (III) बनाम भारत संघ और अन्य [1989] 3 एससीसी 531
4. पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम सीसीई, चंडीगढ़, (2003) 111 ईसीआर 776 एससी=जेटी (2003) 9 एससी 595
5. भारत संघ और अन्य बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य [1984] 1 एससीसी 467

6. सहायक जिलाधीश केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड आदि, [1986] एससीसी 751
7. सहायक जिलाधीश केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड [1989] 3 एससीसी 238
8. जिलाधीश केंद्रीय उत्पाद शुल्क मद्रास बनाम टी.आई. मिलर्स लिमिटेड, मद्रास और टी.आई. डायमंड चेन, मद्रास, [1988] पूरक एससीसी 361
9. जिलाधीश केंद्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद बनाम मेसर्स जयंत ऑयल मिल्स प्रा. लिमिटेड, [1989] 3 एससीसी 343
10. कॉस्मिक डार्क केमिकल बनाम जिलाधीश केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे, (1995) 75 ईएलटी 721 एससी
11. एमको बैटरीज लिमिटेड बनाम जिलाधीश केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बेंगलोर, (2003) 153 ईएलटी 7 एससी

हमने सीईजीएटी द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, जो इन अपीलों में विवादित हैं। जैसा कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने सही तर्क दिए, सीईजीएटी किसी भी पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष दी गई दलीलों की सराहना करने में विफल रहा। वास्तव में, सिविल अपील संख्या 13400/1996, 4672/1997 और 4762/1997 में, सीईजीएटी इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि पहले के कई निर्णयों में, सीईजीएटी ने लगातार माना था कि

निर्माताओं के ग्राहक द्वारा किए गए विज्ञापन व्यय को इसमें जोड़ा जा सकता है। मूल्यांकन योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बिक्री मूल्य, केवल तभी जब निर्माता के पास ग्राहक के विरुद्ध ऐसे विज्ञापन खर्चों को वहन करने पर जोर देने का प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो।

कुछ मामलों में, सीईजीएटी यह समझने में विफल रहा कि अपीलकर्ताओं ने ईमानदारी से और वास्तविक विश्वास के तहत काम किया है कि एनएबीबी को इस तरह के अपराध से उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी और कि पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई 1981(27) ईएलटी 349 में अपीलकर्ताओं के मामले में सीईजीएटी ने छूट के लिए अपीलकर्ताओं के दावे को बरकरार रखा है। इन अपीलों में आक्षेपित आदेशों में सीईजीएटी इस न्यायालय के कई निर्णयों के अनुपात की सराहना करने और उनका पालन करने में भी विफल रहा है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि निर्धारित ईमानदारी से और प्रामाणिक विश्वास के तहत कार्य करता है और निर्मित उत्पादों को शुल्क से छूट दी जाती है, तो लंबी अवधि की सीमा आकर्षित नहीं होती है।

इसलिए, हमें लगता है कि इन मामलों में शामिल मुद्दों पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस निर्णय में उद्धृत, भरोसा किये गए और संदर्भित कई निर्णयों की पृष्ठभूमि में सीईजीएटी द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों के आलोक में मामलों पर नए सिरे से विचार करने के लिए सभी अपीलों संबंधित न्यायाधिकरणों को प्रतिपेक्षित की जाती हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने दावे

के संबंध में अतिरिक्त दलीलें, अनुलग्नक और रिकॉर्ड, यदि कोई हों, दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उपरोक्त निर्देश के अनुसार सभी अपीलों का निस्तारण किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

के.टी.

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।
